महत्वपूर्ण/ प्राथमिकता
संख्या-9/2016/734/55-पर्या-2016-27(पर्या)/2015

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट (Sub Divisional Magistrates)
उत्तर प्रदेश,(द्वारा समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी)

2-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश,
(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0)
3-सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 25 फरवरी, 2016

विषय:-प्लास्टिक की थैलियों की आपूर्ति एवं विक्रय को प्रतिबन्धित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-3306/55-पर्या-15-27(पर्या)/15, दिनांक 22.12.2015 द्वारा जनहित में प्लास्टिक की थैलियों का विर्निमाण, आयात, भण्डारण, विक्रय और ढुलाई को 21 जनवरी, 2016 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सहित समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 व निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 को शासनादेश संख्या-172/55-पर्या-2015, दिनांक 20 जनवरी, 2016 एवं अनुवर्ती पत्र संख्या-3356/पर्या-2015/27(पर्या)-15, दिनांक 29 दिसम्बर 2015 व संख्या-1/2016 /200/55-पर्या-2016, दिनांक 21 जनवरी, 2016 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- प्लास्टिक की थैलियों की आपूर्ति एवं विक्रय आदि प्रतिबन्धित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जनहित याचिका संख्या-67235/2014 अशोक कुमार व अन्य बनाम नगर निगम लखनऊ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के अनुपालन में निर्गत की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त जनहित याचिका में दिनांक 13.01.2015 को पारित आदेश का संगत प्रभावी अंश निम्नवत हैः-

"For the implementation of the notification, we direct the U.P. Pollution Control Bord to ensure and monitor compliance with the prohibition imposed by the said notification. We further direct the Principal Secretary in the Ministry of Environment Government of U.P. to issue directions to all the Sub Divisional Magistrates, Municipal bodies in the State to ensure that plastic carry bags are not sold or supplied by shopkeepers, vendors and traders."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबन्धित किये जाने सम्बन्धी उक्त अधिसूचना को अपने अधिकार क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2016 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट (Sub Divisional Magistrates) एवं समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई दुकानदार, वेंण्डर व ट्रेडर्स द्वारा प्लास्टिक की थैलियों, जैसा कि उक्त अधिसूचना में परिभाषित है, की आपूर्ति एवं विक्रय नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ को उनके ई-मेल-info@uppcb.com पर नियमित रूप से अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर उसकी समीक्षा करते हुये शासन को प्रतिमाह अवगत कराया जायेगा।

कृपया आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2016/734/55-पर्या-2016 तददिनांक

1- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश।
6- अधिशासी अधिकारी, समस्त छावनी परिषद उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।